न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— **उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या :— **50/2023**

श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—:बनाम:—

कुलदीप गोदारा पुत्र किशनलाल गोदारा (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्सः—नव्या किरयाना स्टोर, बस स्टैण्ड, 36 एमओडी, कैचियां, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
निवासी—5 जीजीएम, गोगामेड़ी, जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री विजय कुमार, अभिभाषक अप्रार्थी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

—:निर्णयः—

दिनांक :—**21.05.2024**

प्रार्थी श्री जीतसिंह यादव, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीतसिंह यादव दिनांक 04.05.2022 को समय दोपहर 01.00 बजे मय साथी टीम व सामान नमूनीकरण वास्ते मैसर्स—नव्या किरयाना स्टोर, बस स्टैण्ड, 36 एमओडी, कैचियां, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ पर दुकान निरीक्षण व नमूनीकरण वास्ते पहुंचे। वहां पर कुलदीप गोदारा पुत्र किशनलाल गोदारा (विक्रेता) निवासी—5 जीजीएम, गोगामेड़ी, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास दुकान में Mirch Powder (Spicele Brand) 500 ग्राम वजनी पोली पाउच सील्ड 30 पैकेट आमजन के बेचान वास्ते रखे हुये थे। जिसमें मिलावट का शक होने पर 500 ग्राम वजनी Mirch Powder (Spiecele Brand) के 04 पैकेट नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया और विक्रेता को मौके पर ही खरीद मूल का 440/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा ने हस्ताक्षर किये। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग सलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 05 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Mirch Powder (Spicele Brand) 500 ग्राम वजनी पोली पाउच चार पैकेट पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं. एके—2214 जिन पर दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ एवं [illegible] अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—2214 जिन पर दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.14 16:59:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 641 दिनांक 12.05.2022 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/7749–50 दिनांक 26.05.2022 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी (आवेदक) द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को मूल पत्रावली प्रस्तुत की गयी, जिसको अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Misbranded Mirch Powder (Spicele Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Mirch Powder (Spicele Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31(2) की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस की गई कि अप्रार्थी की दुकान से लिये गये सैंपल की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उत्पाद में किसी भी तरह की मिलावट नहीं थी। उत्पाद सरकार द्वारा निर्धारित मानक स्तर व अच्छी क्वालिटी का था, परंतु सहवन से उक्त मिर्च के पैकेटों पर निर्माण की तारीख व बैच नंबर प्रिंट नहीं हो सका था। जिन्हें अप्रार्थी द्वारा बेचान से अलग रखा था। अप्रार्थी द्वारा इनका बेचान नहीं किया गया। जांच टीम द्वारा उन्हीं पैकेटों का सैंपल लिया गया जिनमें सहवन से लैबलिंग नहीं हो सकी थी। अंत में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को खारिज कर अप्रार्थी को न्याय प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बैच नंबर एवं पैकेजिंग दिनांक नहीं होने के कारण प्रकरण में अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किए गए Mirch Powder (Spicele Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Misbranded Mirch Powder (Spicele Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात Mirch Powder (Spicele Brand) विक्रेता एवं मालिक जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 (2) की श्रेणी में आते हैं। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी को Misbranded के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 50,000/–(अखरे रूपये पचास हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.14 16:59:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

30/4/2024

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़